भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1748

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों में गाद का जमा होना

1748. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई, बेकी, मानस, दरांग, संकोष आदि जैसी सभी नदियां भारी वर्षा से आई आकस्मिक बाढ़ और भूटान की तलहटी से भारी चट्टानों के कारण गाद से भरी पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र में नदियों में भारी मात्रा में गाद जमा होने के कारण पेयजल की भारी कमी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जी हाँ, भूटान से भारत की ओर बहने वाली अनेक सीमा-पार नदियों में बाढ़ के मौसम के दौरान नदी गाद की पर्याप्त मात्रा आती है।

(ख): भूटान की दक्षिणी तलहटी और भारत के समीपवर्ती मैदानों में बार-बार आने वाली बाढ़ और कटाव के संभावित कारणों और प्रभावों पर चर्चा करने और उनका आकलन करने तथा भारत और भूटान के बीच दोनों सरकारों को उपयुक्त और परस्पर स्वीकार्य उपचारी उपायों की सिफारिश करने हेतु आयुक्त (बी एंड बी), जल संसाधन, नदी विकास विभाग और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में बाढ़ प्रबंधन विशेषज्ञ संयुक्त समूह (जेजीई) का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। अब तक, बाढ़ प्रबंधन विशेषज्ञ संयुक्त समूह (जेजीई) की दस बैठकें आयोजित की गई हैं।

बाढ़ प्रबंधन विशेषज्ञ संयुक्त समूह (जेजीई) द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण और बाढ़ प्रबंधन विशेषज्ञ संयुक्त समूह (जेजीई) द्वारा संदर्भित कुछ गंभीर क्षेत्रों का स्थल दौरा करके बाढ़ प्रबंधन विशेषज्ञ संयुक्त समूह (जेजीई) की सहायता करने के लिए दोनों देशों के बीच बाढ़ प्रबंधन पर एक संयुक्त तकनीकी दल (जेटीटी) का भी गठन किया गया था। संयुक्त तकनीकी दल (जेटीटी) इस समय तलछट भार

और नदियों पर इसके प्रभाव के आंकलन से संबंधित अध्ययन कर रहा है और भूटान से असम में प्रवेश करने वाली मानस, धनसिरी और पुथीमारी नदियों तथा भूटान से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाली पुगली, रेथी और सुकृति नदियों के लिए उपचारात्मक उपायों की भी सिफारिश करता है।

इसके अलावा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2023 में तलछट प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा (एनएफ़एसएम) अधिसूचित किया गया है जो गाद हटाने के बजाय गाद उत्पादन को कम करने और तकनीकी नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर देता है। इसके अलावा, यह तलछट प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, एकीकृत और वैज्ञानिक तरीके से तलछट प्रबंधन के मुद्दों के निपटारे और नदी बेसिन में तलछट प्रबंधन के विभिन्न दृष्टिकोणों के उपयोगों के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसमें केंद्रीय एजेंसियों के विभागों/मंत्रालयों द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं के प्रासंगिक संदर्भ भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, असम जल संसाधन विभाग ने आई, बेकी, मानस, दरांग और संकोष नदियों के तल स्तर में वृद्धि और भारी गाद के कारण आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए विभिन्न योजनाएँ शुरू की हैं। असम जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक शुरू की गई योजनाओं की सूची **अनुलग्नक** में संलग्न है।

(ग) और (घ): 'जल' राज्य का विषय है इसलिए ग्रामीण परिवारों को नल का जल उपलब्ध कराने तथा शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन के लिए पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है।

सभी ग्रामीण परिवारों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, अगस्त 2019 से, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में, जल जीवन मिशन (जेजेएम) लागू कर रही है। इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष), निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस 10500) और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर नल के जल की आपूर्ति का प्रावधान करना है। भारत सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, असम राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वहां प्रचुर मात्रा में भू और सतही जल स्त्रोत हैं; हालांकि, नल कनेक्शन के माध्यम से आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है।

*****

अनुलग्नक

"नदियों में गाद का जमा होना" विषय पर दिनांक 05.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1748 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

डब्ल्यूआरडी, असम द्वारा आई, मानस, दरांगा, बेकी, संकोष नदियों में शुरू की गई योजनाएं

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	एचओए	प्रभाग का नाम	नदी का नाम	योजना का नाम	अनुमानित लागत
1	एसओपीडी-एफडीआर 2021-22	चिरांग	आई	आर/बी पर आई नदी के कटाव से देबरगांव गांव की रक्षा के लिए ए/ई उपाय।	49.98
2	एनआईडीए	बोंगाईगांव	आई	आई नदी के तिरछे जोर से गाद जमा होने को रोकने के उपायों द्वारा बशबाड़ी बाजार के डी/एस क्षेत्र की सुरक्षा।	190.00
3	एसओपीडी-एफडीआर 2021-22	बारपेटा	मानस	मानस नदी के कटाव से बरतारी और इसके आस-पास के क्षेत्र की सुरक्षा।	331.92
4	एनईसी	बास्का	दरांगा	विभिन्न खंडों पर दरांगा नदी के बी/बी की सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपाय।	495.73
5	विश्व बैंक ने एआईआरबीएमपी को सहायता दी	बारपेटा और बक्सा	बेकी	नदी के कटाव के जोखिम को कम करने के लिए बेकी नदी के किनारे नदी कार्यों का निर्माण और उन्नयन	14308.00
6	विश्व बैंक ने एआईआरबीएमपी को सहायता दी	बारपेटा और बक्सा	बेकी	बाढ़ और नदी कटाव जोखिम को कम करने के लिए बेकी नदी के किनारे नदी कार्यों का निर्माण और उन्नयन (चुनबारी, मैथाबारी, नेपालीबस्ती, बिहारीबस्ती, बरोबस्ती और गोबर्धन सत्रा के यू/एस, कटझार और कौरजाही में आपातकालीन सुरक्षा कार्य)	2973.00

क्रम संख्या	एचओए	प्रभाग का नाम	नदी का नाम	योजना का नाम	अनुमानित लागत
7	एफएमबीएपी	चिरांग	आई	आई नदी (आर/बी) के कटाव से दुर्गापुर, दाबाबील, छोटोनीबाड़ी, देबरगांव, डांगाईगांव, भिरेनगांव, भेरभेरी, रौमारी, खगड़ाबारी, संन्याशिगुड़ी, उत्तर पोपरागांव और पोपरागांव गांवों की सुरक्षा।	11594.40
8	एसओपीडी-जी-2023-24	बारपेटा	बेकी	बेकी नदी के एल/बी पर कटाव से खुदनाबाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा।	177.58
9	एसओपीडी-जी-2023-24	कोकराझार	संकोष	संकोष नदी के एल/बी पर कटाव से सिमलाबाड़ी एफ वी गांव और इसके आस-पास के क्षेत्रों की रक्षा के लिए कटावरोधी उपाय।	198.00
10	एसओपीडी-जी-2023-24	कोकराझार	संकोष	बागडोगरा गांव और इसके आस-पास के क्षेत्रों को संकोष नदी के एल/बी पर कटाव से बचाने के लिए ए/ई उपाय।	199.00
11	एसओपीडी-जी-2023-24	बारपेटा	बेकी	शोपुर में कुराकुर पुल पहुंचने वाले मार्ग को बेकी नदी के आर/बी पर कटाव से सुरक्षा प्रदान करना।	172.00

*****